

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

E-Mail : bhopal@mptownplan.gov.in

क्रमांक 1381 / एल.पी.177 / 29(1) / 30 / नगानि / जिका / 2013 भोपाल, दिनांक 28 / 05 / 2015
प्रति,

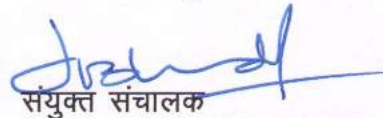
भूमि स्वामी मेसर्स ऑटम इन्फ्राकॉम एण्ड माइन्स प्रायवेट लिमिटेड
द्वारा संचालक श्री संदीप चौहान सुपुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान,
सैय्यद साजिद अली सुपुत्र साहिब अली,
मेसर्स आसोपालन बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड,
द्वारा भागीदार श्री साजिद अली सुपुत्र श्री साहिल अली,
श्री संदीप चौहान सुपुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान,
श्री सुरेश चावला सुपुत्र श्री सी. एल. चावला,
मेसर्स जनकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति
द्वारा अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल सुपुत्र श्री. के. व्ही. अग्रवाल,
पता-ई-8 / 42 अरेरा कालोनी, भोपाल

विषय :- ग्राम सनखेड़ी तहसील हजूर जिला भोपाल स्थित भूमि के खसरा क्रमांक- 170, 168, 171, 178, 179, 169 कुल रकबा 2.360 हेक्टेयर (23600.00 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन ।

संदर्भ :- श्री संदीप चौहान, डायरेक्टर, ऑटम इन्फ्राकॉम एण्ड माइन्स प्रायवेट लिमिटेड का पत्र दिनांक 20.4.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय के पत्र क्रमांक-1660 से 1667/एल.पी.-114/29(1)/30/नगानि/जिका/2013 दिनांक-3.10.2013 द्वारा जारी अनुज्ञा में परियोजना का नाम सिग्नेचर-180 के स्थान पर अल्टीमेट इम्पीरियल विलास किये जाने की अनुरोध किया गया है ।

अतः कार्यालय द्वारा जारी अनुज्ञा में परियोजना का नाम- सिग्नेचर-180 के स्थान पर परियोजना का नाम 'अल्टीमेट इम्पीरियल विलास' परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।


संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश
पृ.क्रमांक / एल.पी.114 / 29(1) / 30 / नगानि / जिका / 2013 भोपाल, दिनांक / 05 / 2015
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील हजूर, जिला भोपाल
2. आयुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी, कालोनी सेल, एकल खिड़की प्रणाली नगर पालिक निगम, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल को कृपया सूचनार्थ प्रेषित ।
4. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
5. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ ।
6. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ ।
7. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल ।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्य प्रदेश

कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक
प्रति,

/एल.पी.114/29(1)/30/नग्रानि/जिका/2013

भोपाल, दिनांक /2013

अनुविभागीय अधिकारी,
राजस्व, तहसील हूजूर,
जिला भोपाल

विषय :- ग्राम सनखेड़ी तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित भूमि के खसरा क्रमांक- 170, 168, 171, 178, 179, 169 कुल रकबा 2.360 हेक्टेयर (23600.00 वर्गमीटर) भूमि पर आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु अभिन्यास अनुमोदन ।

परियोजना का नाम :- "सिग्नेचर-180"

सन्दर्भ :- माननीय न्यायालय, कलेक्टर, जिला भोपाल का पत्र क्रमांक-490/री.कले./2013 दिनांक-9.7.2013.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ में ग्राम सनखेड़ी तहसील हूजूर जिला भोपाल स्थित भूमि के खसरा क्रमांक- 170, 168, 171, 178, 179, 169 कुल रकबा 2.360 हेक्टेयर (23600.00 वर्गमीटर) जिसका भूमि उपयोग भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित आवासीय/मार्ग 30.0 मीटर निर्दिष्ट है, में से आवासीय उपयोग में निर्दिष्ट भूमि पर संदर्भित पत्र के साथ प्राप्त भूमि स्वामी मेसर्स ऑटम इन्फ्राकॉम एण्ड माइन्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा संचालक श्री संदीप चौहान सुपुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान, सैय्यद साजिद अली सुपुत्र साहिब अली, मेसर्स एसोपालव बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड, द्वारा भागीदार श्री साजिद अली सुपुत्र श्री साहिल अली, श्री संदीप चौहान सुपुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान, श्री सुरेश चावला सुपुत्र श्री सी. एल. चावला, मेसर्स जनकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल सुपुत्र श्री. के. व्ही. अग्रवाल, पता-ई-8/42 अरेरा कालोनी, भोपाल को भूखण्डीय आवासीय विकास हेतु भोपाल विकास योजना, 2005 एवं मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27(1) प्रावधानों अनुसार विकास की अनुज्ञा के अधीन निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जा रही है :-

(1) निम्न लिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों तथा संस्था से अनापत्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा :-

1. मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959
2. लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग ।
3. भू अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल
4. मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल.
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/राजकीय राजमार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में).
6. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत या कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करें ।

- (2) आवासीय भूखण्डों पर विकास योजना 2005 की सारणी क्रमांक-4-सा-2 के प्रावधान मान्य होंगे ।
- (3) इस विकास अनुज्ञा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग मान्य नहीं होगा ।
- (4) परिसर से जनित होने वाले पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही की जाना एवं करना अनिवार्य होगा ।
- (5) संस्था/आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी की होगी ।
- (6) भू स्वामी/आवेदक द्वारा के साथ भूमि विकास अनुबंध प्रस्तुत किया गया है । कृपया उक्त भूमि विकास अनुबंध भूमि स्वामित्व संबंधी परीक्षण की शर्त के तारतम्य में आवश्यक परीक्षण कर इस बाबत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें । इस संबंध में प्रस्तुत अनुबंध/पावर ऑफ

व्य

अटार्नी/अधिकार पत्र इत्यादि की वैधानिकता का परीक्षण करने के उपरांत ही विकास अनुमति जारी की जाये ।

- (7) प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमि की सीमाओं पर निर्मित एवं प्रस्तावित अनुमोदित मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित रखी जाये एवं भूखण्डों का समायोजन किया जावे ।
- (8) इस कार्यालय एवं राजस्व विभाग द्वारा किये गये स्थल पर सीमांकन (बाहरी सीमाओं) दिनांक 30.5.2013 में दर्शित माप एवं स्थिति के आधार पर ही मान्य होगा ।
- (9) विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु इस अभिन्यास में जो जगह प्रस्तावित की गई है उनमें सीवेज टैंक, ओव्हर हेड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन किया जावे ।
- (10) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 67 के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जाये । इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर क्षेत्रफल के मान से अतिरिक्त वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होगा । स्थल पर विद्यमान वृक्षों को यथावत रखना होगा ।
- (11) मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बनाये गये मध्य प्रदेश नगर पालिका पालिका (कालोनाईजरर्स का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1998 के नियम 10, 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावे ।
- (12) प्रस्तावित अभिन्यास में सामान्य श्रेणी के कुल 125 भूखण्ड प्रस्तावित है । उक्ताधार पर मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम, 1998 के नियम 10(2) अनुसार मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 19.4.2012 में उल्लेखित प्रावधानानुसार ई. डब्ल्यू. एस. हेतु 30.0 वर्गमीटर के 12.0 आवासीय भूखण्ड एवं एल. आई. जी. हेतु 41.00 वर्गमीटर की 08 आवासीय भूखण्ड मानचित्र में प्रावधानित है । तदनुसार प्रावधान सुनिश्चित किया जाकर इस संबंध में कालोनाईजर नियम 1998 के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें । इसका अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उपरांत ही नियमानुसार विकास अनुमति प्रदान की जाये ।
- (13) भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक-382/02/मूवि/भोविप्रा/13 दिनांक-1.7.2013, 380/02/मूवि/भोविप्रा/13 दिनांक-1.7.2013 व 442/02/मूवि/भोविप्रा/13 दिनांक-8.7.2013 द्वारा जारी अनापत्ति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा ।
- (14) कार्यालय जिलाध्यक्ष (नजूल) बैरागढ़ वृत्त जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक-232/ बी-121/12-13 दिनांक-7.2.2013 व 233/नजूल/ बी-121/2012-13 दिनांक 7.2.2013, 234/नजूल/बी-121/2012-13 दिनांक- 7.2.2013, 235/नजूल/बी-121/2012-13 दिनांक 7.2.2013 द्वारा जारी अनापत्ति की समस्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- (15) अनुमोदित मानचित्र की सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा ।
- (16) यह अनुज्ञा अहस्तांतरणीय होगी तथा अनुज्ञप्त उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग मान्य नहीं होंगे ।
- (17) संलग्न मानचित्र में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा । अतः स्थल पर स्थित मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध न किया जावे इसे मान्य नहीं किया जावेगा ।
- (18) स्थल पर अनुमोदन संबंधी जानकारी एक 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा ।
- (19) किसी भी प्रकार का ठोस अपशिष्ट, परिसर के आसपास भूमि पर फेंकना/फैलाना प्रतिबंधित रहेगा ।
- (20) संस्था एवं नगर पालिका निगम भोपाल को मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
- (21) यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुख्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है । साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसा कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है ।
- (22) प्रश्नाधीन भूमि/भूखण्डों पर जारी की जाने वाली भवन अनुज्ञा की प्रति 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ।

100

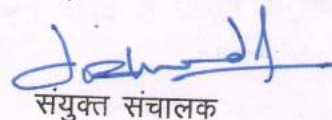
- (23) जल-मल निकासी की व्यवस्था निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जावे ।
- (24) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 21 के परिप्रेक्ष्य में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन शुल्क रुपये 5000 चालान क्रमांक-15 दिनांक-5.6.2013 एवं रुपये 10,000 चालान क्रमांक 13 दिनांक-19.8.2013 अनुज्ञा शुल्क रुपये 15,200/- चालान क्रमांक सी4.06/क्यू/408354 दिनांक 27.09.2013 एवं रुपये 25000 चालान क्रमांक-15 दिनांक -28.09.2013 द्वारा अनुज्ञा शुल्क का भुगतान किया गया वे अंतिम सत्यापन के अध्यक्षीन है यदि आवेदक द्वारा भुगतान किये गये भुगतान शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।
- (25) इस अनुज्ञा को भूमि स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे तथा किसी भी प्रकार की भूमि विवाद होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी ।
- (26) अनुमोदित अभिन्यास में उल्लेखित मानक भोपाल विकास योजना 2005 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप ही रहेंगे ।
- (27) मध्य प्रदेश खनिज(अवैध उत्खन्न परिवहन भण्डारण का निवारण) नियम 2006 में हुए संशोधन के नियम का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा ।
- (28) स्थल पर विद्यमान विद्युत लाईन के नीचे के विकास/निर्माण कार्य विद्युत लाईन हटने के पश्चात ही मान्य होंगे जब तक उक्त लाइन स्थानांतरित नहीं होगी प्रभावित भूखण्डों का विक्रय मान्य नहीं होगा एवं विद्यमान नाले के किनारे से 9.0 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाना होगा ।
- (29) मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगी ।
- (30) आवेदक संस्था द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार प्रश्नाधीन अभिन्यास के आधार पर परियोजना का नाम "सिग्नेचर-180" रहेगा एवं बगैर लिखित स्वीकृति के इनमें कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।
- (31) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुज्ञा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 25 के तहत रिवोक की जा सकेगी ।

पृ.क्रमांक 1662
प्रतिलिपि :-

/एल.पी.114/29(1)/30/नग्रानि/जिका/2013

संयुक्त संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल
भोपाल, दिनांक 3/10/2013

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल को कृपया सूचनार्थ प्रेषित.
2. उपमहाप्रबंधक/कार्यपालन यंत्री, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल.
3. वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं संबंधित क्षेत्र के उप पंजीयक, भोपाल की ओर कलेक्टर, जिला भोपाल के पत्र के तारतम्य में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु ।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका कोलार, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. खनिज अधिकारी, जिला भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. सर्वेक्षक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल ।
7. भूमि स्वामी मेसर्स ऑटम इन्फ्राकॉम एण्ड माइन्स प्रायवेट लिमिटेड द्वारा संचालक श्री संदीप चौहान सुपुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान, सैय्यद साजिद अली सुपुत्र साहिब अली, मेसर्स एसोपालव बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड, द्वारा भागीदार श्री साजिद अली सुपुत्र श्री साहिल अली, श्री संदीप चौहान सुपुत्र श्री रामपाल सिंह चौहान, श्री सुरेश चावला सुपुत्र श्री सी. एल. चावला, मेसर्स जनकपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अध्यक्ष श्री विजय अग्रवाल सुपुत्र श्री. के. व्ही. अग्रवाल, पता-ई-8/42 अरेरा कालोनी, भोपाल से प्रश्नाधीन भूमि पर समस्त अनुज्ञाओं की प्रति इस कार्यालय को जारी होने के 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से उपलब्ध करावे तथा समस्त शर्तों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।


संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल

अभिन्यास अनुमोदित

यह मानचित्र भूमि-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है



G2	41	41
G3	41	41
G4	49.69	49.69
G5	41	41
G6	41.5	41.5
G7	41.49	41.49
G8	42.13	42.13

BREAK UP OF AREA		
DETAIL	AREA	%
TOTAL LAND AREA	20813.10	100%
PLOTTED AREA	11341.78	54.49
E.W.S. PLOTS AREA	366.07	1.76
L.I.G. PLOTS AREA	338.81	1.63
OPEN PARK AREA	2098.66	10.08
OPEN FOR SERVICE AREA	208	1.00
ROAD AREA	6459.78	31.04
TOTAL AREA	20813.1	100.00

कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर यह अनुरा मध्य प्रदेश भूमि विकास विभाग, 2018 ने विभाग के द्वारा जारी की